FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0259 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/10/2025 18:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 18/07/2025 Date To (दिनांक तक): 14/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:00 बजे Time To (समय तक): 12:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/10/2025 Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 03/10/2025 18:00:28 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 90 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICAI

(b) Address(पता): PARIVADI KE PLOT PAR SITHAT TEENSHAID KE SAMNE, BEENAGANJ ROAD,, MANOHARTHANA, JILA JHALAWAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MUKESH

(b) Father's Name (पिता का नाम): LALCHAND

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 01/01/1985 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM GANGAHONEE,, KOLUOKHERI MALIYAN, MANOHARTHANA, MANOHAR THANA, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM GANGAHONEE,, KOLUOKHERI MALIYAN, MANOHARTHANA, MANOHAR THANA, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SATVEER SINGH		पिता:SOHAN LAL	1. GOAN NEVADI,POST NEVADA,BHUSAWAR,BHUSAWAR,BHARATPUR,RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2025 को 11 एएम पर परिवादी श्री मुकेश पुत्र श्री लालचन्द जाति लोधा उम्र 40 वर्ष निवासी गंगाहोनी ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान पंचायत समिति मनोहरथाना पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0) एक टाईपशुदा एक प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति के मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश की। दरियाफ्त करने पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र किसी मिलने वाले से टाईप करना बताया एवं उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री मुकेश के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार है कि " मेरे गाँव के पास बड़गाँव में श्रीमती सपना बाई का विवाह श्री हेमराज के साथ हुआ था। दोनो पति पत्नि के बीच आपसी पारिवारिक लड़ाई-झगड़ा होने के कारण वह उसको छोड़कर अपने गांव शिवपुरी (म0प्र0) चली गई थी। इस पर उसके पति व परिवारजनो ने मुझ पर शक किया कि मैं सपना बाई को भगा ले गया तथा मेरी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी। इस पर सपना बाई को थाने वालो ने शिवपुरी से बुलवाया, उसके बयान दर्ज किये तो उसने बताया कि मुकेश मुझे भगाकर नहीं ले गया था। मैं ही अपनी मर्जी से माईके गई थी, मैं हेमराज के साथ नही रहना चाहती हूँ। उसके बयान दर्ज कर थाने वालों ने सपना बाई को उसके पिताजी के साथ शिवपुरी भेज दिया था। सपना बाई का पति श्री हेमराज मेरे से रंजीश रखते हुए उसके गाँव वालो के साथ मिलकर हमारे गाँव वालो के खेतो की करीब 40-50 बीघा मक्का की फसल नष्ट करवा दी, और मुझसे एक करोड़ रूपये मांग रहा है, रूपये नही देने पर आगे भी फसल नष्ट करवाने की धमकी दे रहा है ताकि गाँव वाले मुझ पर उसे रूपये देने के लिये दबाव बनाये। इस पर मैंने परेशान होकर दिनांक 15.07.2025 को मनोहरथाना थाने पर जाकर श्री हेमराज व उसके गांव वालो के खिलाफ फसल नष्ट करने व रूपये मांगने की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। इस पर थाने के सी0आई0 साहब व श्री सतवीर कानिस्टेबल ने मुझसे मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने व मेरे खिलाफ दर्ज रिपोर्ट पर मदद करने की एवज में एक लाख रूपये मांग रहे है। मैं अपने जायज काम के सी0आई0 साहब व श्री सतवीर कानिस्टेबल को रिश्वत के एक लाख रूपये नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि भ्रष्टाचारियो को मैं उन्हें रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हू। मेरा उनसे पूर्व में कोई पैसों का लेनदेन बकाया नहीं है ना ही कोई मेरी उन्हों से कोई रंजिश है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें" परिवादी श्री मुकेश द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया गया जाने पर उसी दिन रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु समय 11.30 एएम श्री शिवराज कानि 166 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को निकलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुकेश के सामने चेक किया जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में मेमोरी कार्ड ¼SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRP12V BL MADE IN CHINA½ डालकर परिवादी श्री मुकेश को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया आपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के क्रम में परिवादी श्री मुकेश को आरोपीगण पुलिस निरीक्षक थाना मनोहरथाना व श्री सतवीर कानि से उसके पेण्डिग कार्य उसके खिलाफ थाने पर दर्ज रिपोर्ट व उसके द्वारा थाने में दर्ज करवायी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही करने से सम्बंधित रिश्वत मांग की स्पष्ट वार्ता कर गोपनीय सत्यापन करने एवं उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करने हेतु समझाईस कर कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि नं0 425 को परिवादी के साथ निगरानी हेतु आवश्यक हिदायत देकर परिवादी के प्राईवेट वाहन से मनोहरथाना के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 04.45 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 व परिवादी श्री मुकेश ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये एवं मन् पुलिस निरीक्षक को श्री देवदान सिंह कानि द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRP12V BL MADE IN CHINA) पेश किया तथा परिवादी ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व देवदान जी दोनों मेरी कार से रवाना होकर मनोहरथाना जा रहे थे तभी रास्ते में श्री सतवीर कानिस्टेबल का मो0 नं0 [redacted] से मेरे मोबाईल नं0 [redacted] पर व्हाट्सअप काल आया कि मैं थाने से तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहा हूँ। तुम मुझे तुम्हारे घर के पास बिनागंज रोड़ पर कैलाश चाय वाले की दुकान पर मिल जाना। इस पर मैं व श्री देवदान जी मनोहरथाना पहुंचकर बिनागंज रोड़ पर स्थित

कैलाश चाय वाले की दुकान पर पहुंचे। श्री देवदान जी ने मुझे डिजीटल टेप रिकार्डर चालू करने की हिदायत कर दुकान के पास ही कुछ दूरी पर खड़े हो गये थे, मैंने डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू किया तभी कुछ समय पश्चात सतवीर कानिस्टेबल कार से कैलाश चाय वाले की दुकान पर आया व मुझसे कार में बैठने की कहा, कैलाश चाय की दुकान से कुछ दुरी पर कार रोक कर सतवीर कानिस्टेबल ने मुझसे मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिये 1,00,000/-रूपये मांगे। उस समय मेरे पास 30,000/-रूपये पड़े थे जो मैंने उन्हे दिये तो उन्होने कहा नहीं पूरे एक लाख रूपये दो नहीं तो सी0आई0 साहब तुम्हारी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। इस पर मैंने सतवीर कानि से कहा अभी मेरे पास यही हैं बाकि 50,000/-रूपये मैं बाद में दे जाऊंगा। इस पर सतवीर ने कहा ये तो 80 हजार ही होंगे, तो मैंने सतवीर कानि से कहा 20 हजार मैंने आपको पहले भी दे रखे हैं। इस पर सतवीर ने कहा वह तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसके थे। अब तो पूरे एक लाख रूपये देने होंगे जो मैं सी0आई0 साहब को दूंगा तभी तुम्हारी रिपोर्ट पर कार्यवाही होगी। सी0आई0 साहब ने एक लाख रूपये से कम लेने से मना कर रखा है और आज ही एक लाख रूपये दो। इस पर मैंने सतवीर कानि के काफी हाथाजोड़ी की अभी मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, तो उसने कहा की ठीक है 70 हजार रूपये बाद में दे देना परन्तु मैंने सतवीर कानि से सोमवार दिनांक 21.07.2025 तक 50 हजार रूपये ही बाद में देने की कहा है। कुछ समय पश्चात श्री सतवीर कानि मुझे कार से उतार कर 30 हजार रूपये लेकर वहां से चला गया था। उसके जाने के पश्चात श्री देवदान जी जो दूर से हम दोनो को वार्ता करते हुए देख रहे थे मेरे पास आये, मैंने डिजीटल टेप रिकार्डर बन्द कर देवदान जी को सुपूर्द कर हमारे बीच हुई वार्ता के सारे हालात् उनको बताये। इसके बाद हम दोनो मनोहरथाना से मेरी कार से रवाना होकर झालावाड़ एसीबी कार्यालय पहुंचे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि नं0 425 से हालात् के बारे में पूछा गया तो उसने परिवादी मुकेश के कथनो की ताईद की। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी के बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकार्डेड डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री शिवराज कानि को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। आरोपी सतवीर कानि से हुई वार्तानुसार परिवादी को 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सोमवार दिनांक 21.07.2025 को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय 05.00 पीएम परिवादी के बताये अनुसार सोमवार दिनांक 21.07.2025 को ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना होने से दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 634 दिनांक 18.07.2025 मुर्तिब कर श्री शिवराज कानि. नं. 166 को पत्र देकर सोमवार दिनांक 21.07.2025 को प्रातः 09 एएम पर दो सरकारी गवाहान को कार्यालय में उपस्थित होने के लिये पाबन्द करवाने हेतु कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़ रवाना किया गया। समय 05.30 पीएम श्री शिवराज कानि0 166 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़ का जारी शुदा पत्र क्रमांक 89 दिनांक 18.07.2025 पेश किया। जिसके अवलोकन से श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ठ सहायक मो.नं. [redacted] व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक मो0नं0 [redacted] कार्यालय जिला परिषद झालावाड़ को स्वतंत्र गवाह मनोनित किया था, बाद अवलोकन पत्र शामिल पत्रावली किया गया। समय 06.00 पीएम डा. प्रेरणा शेखावतमहोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ बाद राजकार्य कोटा से उपस्थित कार्यालय हाजा आयी, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही व सारे हालात् बताते हुए परिवादी श्री मुकेश द्वारा कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र उनके समक्ष पेश किया गया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र पर मार्क व हस्ताक्षर कर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को सुपूर्द कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्दे शित किया। दिनांक 20.07.2025 समय 02.35 पीएम पर मामला झालावाड़ से लगभग 95 किलोमीटर दूर मनोहरथाना का होने के कारण श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया कि सरकारी गवाह व परिवादी को सुबह 07.00 एएम पर कार्यालय में बुलवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करें। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को सुबह प्रातः 07.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु जरिये दुरभाष पाबन्द करवाया गया। दिनांक 21.07.2025 समय 07.00 एएम पर कार्यालय हाजा में तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय जिला परिषद झालावाड़ से उपस्थित आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री राधेश्याम सालोदिया पुत्र श्री गोपाललाल सालोदिया जाति सालोदिया उम्र 57 वर्ष निवासी आरटीओ आफिस के पीछे खण्डियां कालोनी झालावाड़ हाल वरिष्ट सहायक जिला परिषद झालावाड़ मो0नं0 [redacted] व दूसरे अपना नाम श्री ईश्वर राठौर पुत्र श्री नन्दकिशोर राठौर जाति तेली उम्र 45 वर्ष निवासी मंगलपुरा पोस्ट आफिस के पीछे झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद झालावाड़ मो0नं0 [redacted] होना बताया। जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा समझाईश कर कार्यालय में बैठाया गया। समय 07.10 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री मुकेश ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि वह अपने साथ दिनांक 18.07.2025 को आरोपी सतवीर कानिस्टेबल से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार 50,000/-रूपये लेकर आया है। श्री सतवीर कानिस्टेबल जी ने

एक दो दिन में रूपये देने की कहा था। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री मुकेश द्वारा दिनांक 18.07.2025 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। दिनांक 21.07.2025 समय 07.20 एएम परिवादी श्री मुकेश व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ट सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद झालावाड़ की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री शिवराज कानि 166 से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि दिनांक 18.07.2025 को परिवादी श्री मुकेश एवं आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल के मध्य परस्पर रिश्वत राशि मांग की गोपनीय सत्यापन वार्ता हो चुकी है। जो डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड ¼SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRP12V BL MADE IN CHINA½ में रिकार्ड है। दिनांक 18.07.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से रिकार्डेड वार्ता को कार्यालय के लेपटाप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री मुकेश के समक्ष वार्ता को लेपटाप में अलग से लगे स्पीकर आन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मुकेश ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटापसे टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.45 एएम परिवादी श्री मुकेश ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी सतवीर कानिस्टेबल ने मुझसे मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिये सीआई साहब के नाम से एक लाख रूपये मांगे थे जिसमें से मैने 30 हजार रूपये रिश्वत मांग के समय दिनांक 18.07.2025 को सतवीर कानिस्टेबल को दे दिये है। वह मुझसे 70 हजार रूपये और मांग रहा है, पर मैने उसे 50 हजार रूपये ही देने के लिये कहां है, मै उसे 50 हजार रूपये ही दूंगा। इस पर परिवादी श्री मुकेश ने दोनों स्वतंत्र गवाह श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ट सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक के समक्ष अपने पास से आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल की मांग अनुसार उसे देने हेतु शेष रही रिश्वत राशि में 500-500रूपये के 100 नोट कुल 50,000/- रूपये भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री छोटूलाल कानि. चालक नम्बर 534 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उक्त कानि.चालक को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट 500-500 रूपये के 100 नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही कुल 50,000/-रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृष्य रहे तथा गवाह श्री राधेश्याम सालोदिया से परिवादी श्री मुकेश की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री छोटूलाल कानि. चालक नम्बर 534 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि 50,000/-रूपये परिवादी श्री मुकेश की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनो हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री छोटूलाल कानि चालक नम्बर 534 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री छोटूलाल कानि चालक के दाहिने हाथ की अंगुलियां को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन के घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ट सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री मुकेश को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल के धावन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि छुई है या प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री छोटूलाल कानि चालक के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के

उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को व फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। अन्य प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री छोटूलाल कानि चालक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वती लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकार्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री मुकेश को सुपुर्द किया गया। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.05 एएम पर आरोपी परिवादी से व्हाट्सअप काल कर ही वार्ता करता है इसलिये ट्रेप कार्यवाही हेतु मनोहरथाना रवाना होने से पूर्व आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल की स्थिति (लोकेशन) पता करवाने हेतु परिवादी से डीवीआर प्राप्त कर जरिये देवदान कानि डीवीआर चालू करवाकर परिवादी श्री मुकेश के मोबाईल नं0 [redacted] स्पीकर आन कर आरोपी सतवीर के मोबाईल नं0 [redacted] पर व्हाट्सअप काल करवाकर वार्ता करवायी गई तो आरोपी श्री सतवीर ने बताया की वह तो छुट्टी पर आ गया है। उक्त वार्ता को मोबाईल का स्पीकर आन कर वार्ता करवायी गई थी जिसको कार्यालय डीवीआर में रिकार्ड किया गया। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता मुर्तिब की जावेगी। परिवादी द्वारा कार्यालय में पेश फिनोफ्थलीन पावडर लगी रिश्वत राशि को जरिये श्री छोटूलाल कानि चालक के द्वारा एक लिफाफे में रखवाकर श्री शिवराज कानि के जरिये सुरक्षित मालखाने में रखवाई गयी। परिवादी श्री मुकेश को समझाईश की गई कि जब भी आरोपी सतवीर कानिस्टेबल बाकी की रिश्वत प्राप्त करने के लिये सम्पर्क करे तो तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को मोबाईल पर काल कर अवगत् करवाये, जिससे ट्रेप पार्टी मौके पर पहुंचकर कार्यवाही कर सके। आज ट्रेप कार्यवाही होने की संम्भावना नही होने पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री मुकेश को गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी के कार्यालय में उपस्थित आने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 01.08.2025 समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश ने जरिये मोबाईल काल कर श्री देवदान सिंह कानि 425 को अवगत् करवाया कि आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल छुट्टी से आ गया है उसने मुझे काल कर कहा है की तुझे एसएचओ साहब नन्दकिशोर जी वर्मा थाने पर बुला रहे हैं। इस पर मैं थाने पर गया तो वहां एसएचओ साहब श्री नन्दकिशोर जी वर्मा ने अपने कक्ष में बुलाकर मुझसे पूछा कि सतवीर को तूने कितने रूपये दिये तो मैंने कहा कि साहब मैंने सतवीर जी को 50 हजार रूपये दे दिये हैं, और सतवीर जी आपके नाम से 70 हजार रूपये और मांग रहे हैं। इस पर एसएचओ साहब नन्दकिशोर जी ने कहा कि मुझे ऐसा शक है कि सतवीर रूपये ज्यादा लेता है और मुझे कम देता है, अब तेरा सभी काम कर देंगे तू सतवीर को 80 हजार रूपये और दे देना, आगे तेरे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। इस पर मैंने कहा की अभी तो मैं 50 हजार रूपये की व्यवस्था कर सकता हूँ बाकी की रकम बाद मे दे दूंगा, तो एसएचओ साहब श्री नन्दकिशोर वर्मा जी ने कहा कि ठीक है लेकिन दे देना। इस पर मैं उनके कक्ष से बाहर आया तो सतवीर जी मिल गये उन्होने मुझसे पूछा कि साहब से हो गई क्या बात, साहब ने क्या कहा है, तो मैंने सतवीर जी को बताया कि साहब से मेरी बात हो गई है, उन्होने मेरे द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही करने और किसी भी तरह की समस्या नहीं आने के लिये 80 हजार रूपये और आपको देने के लिये कहा है, इस पर सतवीर जी ने कहा कि अब तू 80 हजार रूपये तो एसएचओ साहब श्री नन्दकिशोर जी के और 20 हजार रूपये मेरे लिये अलग से कुल एक लाख रूपये की व्यवस्था करके लाना। इस पर मैंने कहा अभी तो मैं 50 हजार रूपये की व्यवस्था कर सकता हूँ बाकी के 50 हजार रूपये बाद में दूंगा। इस पर सतवीर जी ने कहा ठीक है पर तू को शिश पूरे एक लाख रूपये की करना। इस पर श्री देवदान कानि द्वारा अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक की भी परिवादी से वार्ता करवायी गई, तो परिवादी द्वारा बताये गये कथन सही होना पाया। परिवादी श्री मुकेश ने मन् पुलिस निरीक्षक से कहा कि अभी मैं उसे 50 हजार रूपये ही दूंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुकेश को अगले दिन दिनांक 02.08.2025 को प्रातः 07.00 एएम तक कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जाकर गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई। समय 04.30 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश के बताये अनुसार कल ट्रेप कार्यवाही होने की संम्भावना होने पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान् श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ट सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक को दिनांक 02.08.2025 को प्रातः 07.00 एएम तक कार्यालय में उपस्थित होने के लिये पाबन्द किया गया। दिनांक 02.08.2025 समय 07.00 एएम पाबन्दशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान् श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ट सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद झालावाड़ कार्यालय में उपस्थित आये, जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक ने बताया कि परिवादी श्री मुकेश का काल आया था। उसे आज बाकी की रिश्वत राशि लेकर थाने पर बुलाया जो अभी कार्यालय में आने वाला है। दोनो स्वतन्त्र गवाहान् को कार्यालय में बैठाया गया। समय 07.10 एएम पर परिवादी श्री मुकेश कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज मुझे बाकी की रिश्वत राशि लेकर बुलाया है इस पर कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतन्त्र

गवाहान् श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ट सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक से परिवादी को मिलवाया गया दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी से वार्ता कर कार्यवाही में साथ रहने की सहमति दी गई। समय 07.15 एएम पर दिनांक 21.07.2025 को ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होने से पूर्व परिवादी श्री मुकेश के मोबाईल नं0[redacted]से आरोपी सतवीर कानि के मोबाईल नं0 [redacted] पर व्हाट्सअप वाईस काल कर वार्ता करवायी गई थी, जो कार्यालय डीवीआर में रिकार्ड करवाकर वार्ता को सुरक्षित रखवाया गया था। परिवादी श्री मुकेश व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ट सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद झालावाड़ की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री शिवराज कानि 166 से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया। जो डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड ¼SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRP12V BL MADE IN CHINA½ में रिकार्ड है। दिनांक 21.07.2025 को हुई मोबाईल वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से रिकार्डेड वार्ता को कार्यालय के लेपटापमें लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री मुकेश के समक्ष वार्ता को लेपटापमें अलग से लगे स्पीकर आन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री मुकेश ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटाप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.00 एएम पर दोनो सरकारी गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री छोटूलाल कानि चालक 534 को निर्दे शित कर उसके द्वारा कार्यालय मालखाना में लिफाफे में दिनांक 21.07.2025 को रखवाई गयी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि का लिफाफा निकलवाकर मंगवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री ईश्वर राठौर से परिवादी श्री मुकेश की तलाशी लिवाकर उसके पास पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी नही रहने दिया गया। कानि चालक श्री छोटूलाल से उक्त रिश्वत राशि 500-500 रूपये के नम्बरी 100 नोटों को लिफाफे से निकलवाकर परिवादी श्री मुकेश की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब रखवाई गई तथा श्री शिवराज कानि से मालखाना से मेमोरी कार्ड सहित डीवीआर निकलवाकर चैक कर रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु परिवादी श्री मुकेश को सुपुर्द किया गया। श्री छोटूलाल कानि चालक से लिफाफे को नष्ट करवाकर हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया, साथ ही ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साबुन पानी से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.10 एएम पर परिवादी श्री मुकेश, श्री देवदान सिंह कानि 425, श्री गोपाल लाल सउनि, श्री शीशराम कानि 126, श्री शिवराज कानि 166, श्री मो0 आफा्क़ सउनि तथा मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान मय दोनों सरकारी गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर के मय ट्रेप बाक्स, कम्प्यूटर लेपटाप, प्रिन्टर ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री को सरकारी वाहन बोलेरों मे रखवाकर मय स्वतन्त्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ते को सरकारी बोलेरो व प्राईवेट वाहन दो वाहनो में बिठाकर मय चालक श्री छोटूलाल न. 534 के ट्रेप कार्यवाही हेतु मनोहरथाना की और रवाना हुआ। दिनांक 02.08.2025 समय 11.30 एएम पर दो वाहनो से रवानाशुदा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ते के बिनागंज रोड़ पर स्थित परिवादी श्री मुकेश के प्लाट पर टीनशेड के पास पहुंचा। वाहनो को रोड़ से छुपाव वाले स्थानो पर साईड में खड़ा करवाकर समय 11.41 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मुकेश को समझाईश कर उसके मोबाईल फोन नं0 [redacted]का स्पीकर आन कर आरोपी सतवीर कानि के मोबाईल नं0[redacted] पर व्हाट्सअप काल करवाया गया कि रूपयों की व्यवस्था हो गई है, मेरे पास आज मोटर साईकिल नहीं है, आप मेरे प्लाट पर आकर रूपये ले जाओ। इस पर आरोपी सतवीर ने कहा कि तू वहीं इन्तजार कर मैं अभी आता हूँ। उक्त वार्ता को परिवादी द्वारा डीवीआर में रिकार्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मुकेश को हिदायत की गई कि जेब में रखी रिश्वत राशि के नोटों को अनावश्यक नहीं छुना है तथा आरोपी सतवीर कानि के दुकान पर आने पर रिश्वत लेनदेन की वार्ता करने से पूर्व साईड लेकर डीवीआर को चालू कर लेना तथा उसको रिश्वत राशि सुपूर्द करने के उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिसकाल या यही दुकान के आसपास मौजूद ट्रेप टीम के सदस्यों की और अपने सीर पर दोनो हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा कर देना ताकि ट्रेप टीम हम सभी को पता लग जाये की रिश्वत राशि का आदान-प्रदान हो चुका है। परिवादी को हिदायत कर उसकी दुकान पर रवाना किया तथा श्री छोटू लाल कानि0 चालक को वाहनो के पास ही रहने की हिदायत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ते के पैदल-पैदल चलकर बिनागंज रोड़ पर परिवादी की दुकान के आसपास भीड़ में अन्य दुकानो व वाहनो के बीच ओट लेकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम होकर ट्रेपजाल बिछाया गया गया। दिनांक 02.08.2025 समय 12.10 पीएम पर बीनागंज की तरफ से मोटरसाईकिल से एक वर्दीधारी व्यक्ति उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, परिवादी के प्लाट पर स्थित टीनशेड के सामने रोड़ पर आकर रूका तथा रोड़ से ही परिवादी को आवाज लगाकर बुलाया। कुछ क्षण बाद परिवादी मुकेश उसके पास आया और वार्ता करने लगा। करीब 04-05 मिनट वार्ता करने के उपरान्त मोटर साईकिल स्टार्ट कर मनोहरथाना की और चला गया। इस दौरान परिवादी द्वारा उस व्यक्ति को ना तो रिश्वत राशि दी गई ना ही कोई इशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप टीम के सदस्यों ने दूर से देखा। कुछ देर बाद परिवादी एक

साईड में मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया और बताया कि आरोपी सतवीर कानिस्टेबल ने मुझे आवाज लगाकर रोड़ पर बुलाया। जिसपर मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे पूछा पहले तो ये बता तेने मेरी शिकायत तो कहीं नही की है। तेरे बच्चों की कसम खा, मुझे बच्चों की कसम खिलाकर सतवीर कानिस्टेबल ने मुझसे पूछा की कितने रूपये हैं तो मैंने सतवीर जी से कहा मैंने आपको बाकी के 50 हजार रूपये देने की कहा था, जो अभी मेरे पास हैं, तो सतवीर ने कहा पूरे एक लाख रूपये कर सीआई साहब को देने है। एक लाख रूपये पूरे हो जायें तो मुझे काल कर देना। मैंने कहा मैं शाम को दे जाऊंगा तो सतवीर जी ने कहा तो शाम को ले लूंगा ठीक हैं तेरे पास रख। यह कहकर वह मनोहरथाना की और चले गये। उन्हें मेरे उपर शक है कि मैंने उनकी कहीं शिकायत की है वह काफी घबराये से लग रहे थे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से कहा कि तुम उसे यह रूपये तो देते बाकी के रूपये घर से लाकर देने की कह देते हम तभी उसको पकड़ लेते। इस पर परिवादी ने कहा मैंने रूपये उन्हें देना चाह तो उन्होंने रूपये लेने से मना कर दिया पूरे एक लाख रूपये होने के उपरान्त फोन करने की कहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मय एसीबी टीम के वही रूककर कुछ समय पश्चात पुनः आरोपी को बुलाने के लिये परिवादी से काल करवाने का निर्णय लिया गया। समय 03.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुकेश को समझाईश की गई कि आरोपी सतवीर को काल कर कहो कि मैंने एक लाख रूपये की व्यवस्था कर ली है तुम रूपये लेने आ जाओ। इस पर परिवादी द्वारा अपने मोबाईल नं0[redacted] से आरोपी सतवीर कानि के मोबाईल नं0[redacted] पर काल किया गया तो आरोपी सतवीर कानि ने परिवादी का मोबाईल अटेण्ड नहीं किया कुछ देर रूककर पुनः दो बार और काल करवाये गये परन्तु आरोपी द्वारा परिवादी का मोबाईल अटेण्ड नहीं किया गया। आरोपी सतवीर द्वारा परिवादी से रूपये लेने की शिकायत उसने कहीं की है के बारे में पूछा गया था उसको परिवादी पर शंका है। इसलिये आरोपी को शंका नहीं हो आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री मुकेश को समझाईश की गई की जब भी आरोपी सतवीर कानिस्टेबल बाकी की रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये सम्पर्क करे तो तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को मोबाईल पर काल कर अवगत् करवाये, जिससे ट्रेप पार्टी मौके पर पहुंचकर कार्यवाही कर सके। समय 03.30 पीएम आज ट्रेप कार्यवाही होने की संम्भावना नही होने पर वाहनो की ओट लेकर परिवादी श्री मुकेश की दाहिनी जेब में रखी रिश्वत राशि 50 हजार रूपये दोनो सरकारी गवाहान् के समक्ष श्री छोटू लाल कानि चालक को निर्देश देकर पेंट की जेब से निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाये गये। उक्त रिश्वत राशि रखे लिफाफे को सरकारी बोलेरो के डेस्कबोर्ड में सुरक्षित रखवाकर कानि चालक के हाथ साबुन पानी धुलवाये गये। परिवादी श्री मुकेश से डीवीआर प्राप्त कर कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर मौके पर छोड़कर उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ता के ट्रेप बाक्स, कम्प्यूटर लेपटाप, प्रिन्टर ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री सहित साथ लाये वाहनों से मनोहरथाना से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिये रवाना हुआ। समय 05.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन से एसीबी चैकी झालावाड़ पहुंचा। रिश्वत राशि 50 हजार रूपये का लिफाफा जरिये श्री छोटूलाल कानि चालक के द्वारा बोलेरो की डेस्कबोर्ड से निकलवाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। कार्यालय डीवीआर श्री शिवराज कानि को सुरक्षित रखने हेतु सुपूर्द कर ट्रेपबाक्स इत्यादि सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी के कार्यालय में उपस्थित आने यथा स्थितिनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 03.08.2025 समय 10.10 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री देवदान सिंह कानि 425 द्वारा बताया कि आज प्रातः लगभग 7-8 बजे करीब मेरे पास परिवादी श्री मुकेश का मोबाईल काल आया था उसने बताया कि आज रात रात्रि के लगभग दो बजे करीब उसी रात श्री सतवीर कानि व सी0आई0 साहब पुलिस जाब्ते को लेकर मेरे घर का पता पूछकर रात 02 बजे के करीब मेरे घर आये तथा डाट-डपट की तथा शिकायत के सम्बन्ध में पूरी पूछताछ की थी। जिस पर मुझे उनको बताना पड़ा कि मेने मेरे मामले में सतवीर कानि की रिश्वत सम्बन्धित शिकायत व ट्रेप आयोजन सम्बन्धी बात भी बतानी पड़ी तथा आपके मोबाईल नम्बर भी उन लोगों ने मेरे मोबाईल से चेक कर लिया था एसएचओ साहब को मेरे द्वारा एसीबी में की गई शिकायत का पता चल चुका है। उन्हें कैसे पता चला उन्होने मुझे नहीं बताया जबकि मैंने मेरे द्वारा एसीबी में की गई शिकायत के बारे में किसी को नहीं बताया था। परिवादी श्री मुकेश द्वारा श्री देवदान कानि को बताये अनुसार अरोपीगण को उसके द्वारा एसीबी झालावाड़ में की गई शिकायत का पता लग चुका है। अतः परिवादी श्री मुकेश के कार्यालय में उपस्थित होने पर यथा स्थिति अनुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। दिनांक 14.08.2025 समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश पुत्र श्री लालचन्द जाति लोधा उम्र 40 वर्ष निवासी गंगाहोनी ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान पंचायत समिति मनोहरथाना पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के नाम का एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया कि मेरे द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2025 के प्रार्थना पत्र पर ट्रेप संभव नहीं होने व राशि लौटाने के सम्बन्ध में। मेरे द्वारा दिनांक 18.07.2025 को मनोहरथाना पुलिस थाना के कानि श्री सतवीर व सी0आई0 साहब के विरूद्ध रिश्वत लेने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय में कार्यवाही हेतु दिया गया था। जिस पर सत्यापन के दौरान कानि द्वारा मुझसे रिश्वत राशि की मांग की गई थी। ट्रेप कार्यवाही का आयोजन

दिनांक 02.08.2025 को किया गया था, मगर कानि को मुझ पर शक हो जाने की वजह से रिश्वत राशि नहीं ली गई थी। वह मुझसे "तेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है" कह कर गया था। उसी रात श्री सतवीर कानि व सी0आई0 साहब पुलिस जाब्ते को लेकर मेरे घर का पता पूछकर रात 02 बजे के करीब मेरे घर आये तथा डाट-डपट की तथा शिकायत के सम्बन्ध में पूरी पूछताछ की थी। जिस पर मुझे उनको बताना पड़ा कि मेने मेरे मामले में सतवीर कानि की रिश्वत सम्बन्धित शिकायत की थी व ट्रेप आयोजन सम्बन्धी बात तथा सत्यापन कर्ता कानि श्री देवदान सिंह एसीबी वाले का मोबाईल नम्बर भी उन लोगों ने मेरे मोबाईल से चेक कर लिया था तथा अब आरोपी द्वारा रिश्वत लेने की कोई संम्भावना नहीं है अतः मेरे द्वारा पूर्व में दिये गये 50 हजार रूपये लौटाने का श्रम करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री मुकेश ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार अब ट्रेप कार्यवाही होने की संम्भावना नही होने से परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पूर्व दिनांक 21.07.2025 को कार्यालय में पेश की गई राशि 50 हजार रूपये को वापस परिवादी को लौटाया जाना है। अतः कार्यवाही में पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहन श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु जरिये मोबाईल सूचित किया गया तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया के समक्ष परिवादी को प्रार्थना पत्र सहित पेश किया गया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रार्थना पत्र पर मार्क कर नियमानुसार कार्यवारही करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 14.08.2025 समय 12.45 पीएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ट सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक जिला परिषद झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित आये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री मुकेश पुत्र श्री लालचन्द जाति लोधा उम्र 40 वर्ष निवासी गंगाहोनी ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान पंचायत समिति मनोहरथाना पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ द्वारा आज कार्यालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया व उससे आपस में वार्ता करवायी गयी। दोनों स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी श्री मुकेश द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 14.08.2025 समय 01.00 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय मालखाने में सुरक्षित रखे डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को श्री देवदान सिंह कानि को निर्देश देकर निकलवाकर मंगवाया गया। दिनांक 02.08.2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री मुकेश के मोबाईल नं0 [redacted] का स्पीकर आन कर आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ के मोबाईल नं0 [redacted] पर परिवादी के प्लाट पर स्थित टीनशेड बीनागंज रोड़ मनोहरथाना से रिश्वत लेनदेन प्रयास हेतु परिवादी द्वारा अपने मोबाईल से व्हाट्सअप काल कर दोनो के मध्य वार्ता हुई थी, जिसको परिवादी श्री मुकेश द्वारा मोबाईल का स्पीकर आन कर ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त डीवीआर के मेमोरी कार्ड ¼SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRP12V BL MADE IN CHINA½ में रिकार्डेड मोबाईल वार्ता को कार्यालय के लेपटाप में लिया जाकर वार्ता को परिवादी श्री मुकेश व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर को सुनाया गया तो वार्तालाप की आवाजो की पहिचान परिवादी श्री मुकेश द्वारा की जाकर उक्त रिकार्डेड वार्ता में एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल की होना सुनकर पहचान कर बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 न0 425 को निर्देश देकर सुन सुन कर वार्तालाप की ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास मोबाईल वार्ता मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 01.30 पीएम परिवादी के प्लाट पर स्थित टीनशेड के सामने बीनागंज रोड़ पर परिवादी श्री मुकेश एवं आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल की ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 02.08.2025 को आपस में रिश्वत लेनदेन प्रयास हेतु वार्ता हुई थी, जिसको परिवादी श्री मुकेश द्वारा ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर आन कर रिकार्ड किया गया था। जो डीवीआर के मेमोरी कार्ड ¼SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRP12V BL MADE IN CHINA½ में रिकार्डेड वार्ता को कार्यालय के लेपटापमें लिया जाकर वार्ता को परिवादी श्री मुकेश व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर को सुनाया गया तो वार्तालाप की आवाजो की पहिचान परिवादी श्री मुकेश द्वारा की जाकर उक्त रिकार्डेड वार्ता में एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल की होना सुनकर पहचान कर बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 न0 425 को निर्देश देकर सुन सुन कर वार्तालाप की ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता मुर्तिब करवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर कार्यालय में उपस्थित है, उक्त गवाहान के समक्ष दिनांक 18.7.2025 को परिवादी श्री मुकेश व आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ के मध्य रिश्वत की मांग सत्यापन से सम्बन्धित वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 21.07.2025 को समय 07.20 एएम पर तैयार की गई थी। दिनांक 21.7.2025 को परिवादी श्री मुकेश व आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल के मध्य मोबाईल पर व्हाट्सअप काल कर वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता दिनांक 02.08.2025 को समय 07.20 एएम पर तैयार की गई थी। दिनांक 02.08.2025 को परिवादी श्री मुकेश व आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल के मध्य मोबाईल पर व्हाट्सअप काल कर वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता दिनांक

14.08.2025 को समय 01.00 एएम पर तैयार की गई थी। दिनांक 02.08.2025 को परिवादी श्री मुकेश व आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल के मध्य परिवादी के प्लाट के सामने बीनगंज रोड़ पर वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता दिनांक 14.08.2025 को समय 01.30 एएम पर तैयार की गई थी। उक्त चारों वार्ताऐं कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRP12V BL MADE IN CHINA)में रिकार्डेड थी। डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय लेपटापमें लगवाकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा लेपटापमें पेन ड्राईव लगाकर 05 क्लोनिंग पेन ड्राईव तैयार करवाये गये। 5 पेन ड्राईव व मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा 05 पेन ड्राईव में से एक पेन ड्राईव आरोपी सतवीर कानिस्टेबल के लिये, एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही हेतु, एक पेन ड्राईव रक्षित अन्य आरोपी हेतु कपडे० की थेली में अलग-अलग रखकर 04 पेन ड्राईव को सील मोहर किया गया। तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर खुला रखा गया तथा उक्त सभी चारों वार्तायें जो डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड ¼SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRP12V BL MADE IN CHINA)में रिकार्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डमोहर किया गया। फर्द क्लोनिंग पेन ड्राईव एवं जब्ती मय मैमोरी कार्ड मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 14.08.2025 समय 03.00 पीएम उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर कार्यालय के समक्ष परिवादी श्री मुकेश द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु विरूद्ध सी0आई0 व श्री सतवीर कानिस्टेबल पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ के क्रम में एसीबी कार्यालय झालावाड़ में दिनांक 21.07.2025 को पेश किये गये 500-500 के 100 नोट कुल 50,000/-रूपये को लौटाने बाबत् आज प्रार्थना पेश किया कि " दिनांक 18.07.2025 के प्रार्थना पत्र पर ट्रेप सम्भव नहीं होने व राशि लौटाने के सम्बन्ध में। मेरे द्वारा दिनांक 18.07.2025 को मनोहरथाना पुलिस थाना के कानि श्री सतवीर व सी0आई0 साहब के विरूद्ध रिश्वत लेने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय में कार्यवाही हेतु दिया गया था। जिस पर सत्यापन के दौरान कानि द्वारा मुझसे रिश्वत राशि की मांग की गई थी। ट्रेप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 02.08.2025 को किया गया था, मगबर कानि को मुझ पर शक हो जाने की वजह से रिश्वत राशि नहीं ली गई थी। वह मुझसे "तेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है" कह कर गया था। उसी रात श्री सतवीर कानि व सी0आई0 साहब पुलिस जाब्ते को लेकर मेरे घर का पता पूछकर रात 02 बजे के करीब मेरे घर आये तथा डाट-डपट की तथा शिकायत के सम्बन्ध में पूरी पूछताछ की थी। जिस पर मुझे उनको बताना पड़ा कि मेने मेरे मामले में सतवीर कानि की रिश्वत सम्बन्धित शिकायत की थी व ट्रेप आयोजन सम्बन्धी बात तथा सत्यापन कर्ता कानि श्री देवदान सिंह एसीबी वाले का मोबाईल नम्बर भी उन लोगों ने मेरे मोबाईल से चेक कर लिया था तथा अब आरोपी द्वारा रिश्वत लेने की कोई संम्भावना नहीं है अतः मेरे द्वारा पूर्व में दिये गये 50 हजार रूपये लौटाने का श्रम करें " परिवादी श्री मुकेश द्वारा कार्यालय में जमा राशि 50,000/-रूपये वापस चाहने हेतु निवेदन करने पर उसके द्वारा कार्यालय एसीबी झालावाड़ में दिनांक 21.07.2025 को पेश की गई राशि 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50 हजार रूपये श्री शिवराज कानि 166 द्वारा मालखाने से निकलवाकर उन नोटो पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर को अच्छी तरह साफ करवाकर नियमानुसार परिवादी श्री मुकेश को स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर के समक्ष वापस लौटाये गये। कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी नोट पृथक से नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितो को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 14.08.2025 समय 03.20 पीएम सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात श्री मुकेश तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया व श्री ईश्वर राठौर जिला परिषद झालावाड़ को बाद कार्यवाही रूखसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 18.07.2025 को श्री मुकेश पुत्र श्री लालचन्द जाति लोधा उम्र 40 वर्ष निवासी गंगाहोनी ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान पंचायत समिति मनोहरथाना पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़० द्वारा एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पेश किया था मेरे द्वारा पुलिस थाना मनोहरथाना में दर्ज करवायी गई रिपोर्ट पर सी0आई0 साहब व श्री सतवीर कानिस्टेबल ने मुझसे मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने व मेरे खिलाफ दर्ज रिपोर्ट पर मदद करने की एवज में एक लाख रूपये मांग रहे है। परिवादी श्री मुकेश द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आना पाया जाने पर उस दिन श्री देवदान सिंह कानि को परिवादी श्री मुकेश के साथ कार्यालय डीवीआर सुपूर्द कर मनोहरथाना भिजवाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन के दौरान आरोपी सतवीर कानि द्वारा परिवादी मुकेश से सी0आई0 के नाम से एक लाख रूपये की मांग करना पाया गया। परिवादी मुकेश ने आरोपी सतवीर कानि से कहा कि मैं 20 हजार रूपये तो पहले दे चुका हूँ बाकि के 80 हजार रूपये और दे दूगा तो आरोपी सतवीर कानि ने कहा वह 20 हजार तो एमपीआर के थे उसको तो भूल जाओ। अब सी0आई0 साहब के पूरे एक लाख रूपये करो मैंने आज ही उन्हें एक लाख रूपये देने की कहा है। इस पर परिवादी ने आरोपी कानि श्री सतवीर के काफी हाथा जोड़ी करी वह कहा कि अभी तो मेरे पास 30 हजार रूपये पड़े हैं ये ले जाओ बाकि के 70 हजार रूपये मैं आज शामको या जब भी मेरे पास रूपयो का इन्तजाम हो जायेगा मै आपको फोन कर दूंगा। जिसकी पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.07.2025 से होना पायी गयी। आरोपी

सतवीर कानि द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान ही 30 हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त करना व 70 हजार रूपये और मांगने की पुष्टि होने पर ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री मुकेश दिनांक 21.07.2025 को बाकी रिश्वत राशि 70 हजार रूपये में से 50 हजार रूपये रिश्वत राशि का इन्तजाम कर एसीबी कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित हुआ। ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होने से पूर्व परिवादी श्री मुकेश की आरोपी श्री सतवीर कानि से जरिये मोबाईल वार्ता करवायी गयी तो आरोपी सतवीर कानि द्वारा छूट्टी लेकर गाँव जाना बताया गया तथा उसने परिवादी मुकेश को दूसरी पार्टी से समझौता कराने हेतु अपने पक्ष के लोगों को साथ ले जाकर सी0आई0 साहब से थाने पर जाकर मिलने की कहा गया। इस पर ट्रेप कार्यवाही आरोपी सतवीर कानि के अवकाश से लौटने पर करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 01.08.2025 को परिवादी श्री मुकेश ने जरिये मोबाईल काल कर अवगत् करवाया कि आरोपी श्री सतवीर कानिस्टेबल छुट्टी से आ गया है उसने मुझे काल कर कहा है की तुझे एसएचओ साहब नन्दकिशोर जी वर्मा थाने पर बुला रहे हैं। इस पर मैं थाने पर गया तो वहां एसएचओ साहब श्री नन्दकिशोर जी वर्मा ने अपने कक्ष में बुलाकर मुझसे पूछा कि सतवीर को तूने कितने रूपये दिये तो मैंने कहा कि साहब मैंने सतवीर जी को 50 हजार रूपये दे दिये हैं, और सतवीर जी आपके नाम से 70 हजार रूपये और मांग रहे हैं। इस पर एसएचओ साहब नन्दकिशोर जी ने कहा कि मुझे ऐसा शक है कि सतवीर रूपये ज्यादा लेता है और मुझे कम देता है, अब तेरा सभी काम कर देंगे तू सतवीर को 80 हजार रूपये और दे देना, आगे तेरे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। इस पर मैंने कहा की अभी तो मैं 50 हजार रूपये की व्यवस्था कर सकता हूँ बाकी की रकम बाद मे दे दूंगा, तो एसएचओ साहब श्री नन्दकिशोर वर्मा जी ने कहा कि ठीक है लेकिन दे देना। इस पर मैं उनके कक्ष से बाहर आया तो सतवीर जी मुझे बाहर ही मिल गये उन्होने मुझसे पूछा कि साहब से हो गई क्या बात, साहब ने क्या कहा है, तो मैंने सतवीर जी को बताया कि साहब से मेरी बात हो गई है, उन्होने मेरे द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही करने और किसी भी तरह की समस्या नहीं आने के लिये 80 हजार रूपये और आपको देने के लिये कहा है, इस पर सतवीर जी ने कहा कि अब तू 80 हजार रूपये तो एसएचओ साहब श्री नन्दकिशोर जी के और 20 हजार रूपये मेरे लिये अलग से कुल एक लाख रूपये की व्यवस्था करके लाना। इस पर मैंने कहा अभी तो मैं 50 हजार रूपये की व्यवस्था कर सकता हूँ बाकी के 50 हजार रूपये बाद में दूंगा। इस पर सतवीर जी ने कहा ठीक है पर तू को शिश पूरे एक लाख रूपये की करना। इस पर दिनांक 02.08.2025 को परिवादी मुकेश के कार्यालय में उपस्थित आने पर पुनः दोनो स्वतन्त्र गवाहान को तलब कर ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने का निर्णय लिया गया। परिवादी के प्लाट टीनशेड के पास बीनागंज रोड़ मनोहरथाना पहुंचकर परिवादी श्री मुकेश से आरोपी श्री सतवीर कानि को व्हाट्सअप काल करवाकर बाकी की रिश्वत राशि लेने हेतु बुलवाया गया तो कुछ समय बाद बीनागंज की तरफ से मोटरसाईकिल से एक वर्दीधारी व्यक्ति उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, परिवादी के प्लाट पर स्थित टीनशेड के सामने रोड़ पर आकर रूका तथा रोड़ से ही परिवादी को आवाज लगाकर बुलाया। कुछ क्षण बाद परिवादी मुकेश उसके पास आया और वार्ता करने लगा। करीब 04-05 मिनट वार्ता करने के उपरान्त मोटर साईकिल स्टार्ट कर मनोहरथाना की और चला गया। इस दौरान परिवादी द्वारा उस व्यक्ति को ना तो रिश्वत राशि दी गई ना ही कोई इशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप टीम के सदस्यों ने दूर से देखा। कुछ देर बाद परिवादी एक साईड में मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया और बताया कि आरोपी सतवीर कानिस्टेबल ने मुझे आवाज लगाकर रोड़ पर बुलाया। जिसपर मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे पूछा पहले तो ये बता तेने मेरी शिकायत तो कहीं नही की है। तेरे बच्चों की कसम खा, मुझे बच्चों की कसम खिलाकर सतवीर कानिस्टेबल ने मुझसे पूछा की कितने रूपये हैं तो मैंने सतवीर जी से कहा मैंने आपको बाकी के 50 हजार रूपये देने की कहा था, जो अभी मेरे पास हैं, तो सतवीर ने कहा पूरे एक लाख रूपये कर सीआई साहब को देने है। एक लाख रूपये पूरे हो जायें तो मुझे काल कर देना। मैंने कहा मैं शामको दे जाऊंगा तो सतवीर जी ने कहा तो शाम को ले लूंगा ठीक हैं तेरे पास रख। यह कहकर वह मनोहरथाना की और चले गये। उन्हें मेरे उपर शक है कि मैंने उनकी कहीं शिकायत की है वह काफी घबराये से लग रहे थे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वही रूककर कुछ समय इन्तजार कर परिवादी श्री मुकेश को समझाईश कर की एक लाख रूपये का इन्तजाम हो गया है पुनः आरोपी सतवीर कानि को काल करवाया गया परन्तु आरोपी श्री सतवीर द्वारा फोन अटेण्ड नही किया गया नाही उसने बाद में श्री मुकेश को फोन किया। इस पर ट्रेप कार्यवाही बाद में परिस्थति अनुसार करने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री मुकेश को समझाईश कर मनोहरथाना ही छोड़ कर झालावाड़ के लिये मय टीम रवाना हुआ। दिनांक 03.08.2025 को परिवादी श्री मुकेश जरिये काल कर कार्यालय में श्री देवदान सिंह कानि को अवगत् करवाया गया कि आरोपीगण श्री नन्दकिशोर वर्मा पु0नि0 व श्री सतवीर कानि को उस पर एसीबी में शिकायत करने का कहीं से पता लग गया है वह आज रात रात्रि को लगभग दो बजे करीब श्री सतवीर कानि व सी0आई0 साहब पुलिस जाब्ते को लेकर मेरे घर का पता पूछकर मेरे घर आये तथा डाट-डपट की तथा शिकायत के सम्बन्ध में पूरी पूछताछ की थी। जिस पर मुझे उनको बताना पड़ा कि मेने मेरे मामले में सतवीर कानि की रिश्वत सम्बन्धित शिकायत व ट्रेप आयोजन सम्बन्धी बात भी बतानी पड़ी तथा आपके मोबाईल नम्बर भी उन लोगों ने मेरे मोबाईल से चेक कर लिया था एसएचओ साहब को मेरे द्वारा एसीबी में की गई शिकायत का पता चल चुका है। दिनांक 14.08.2025 को परिवादी श्री मुकेश एसीबी कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के नाम एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया कि मेरे द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक

18.07.2025 पर ट्रेप संम्भव नहीं होने पर पूर्व में एसीबी में जमा करवायी गयी राशि 50 हजार रूपये लौटाने का श्रम करे। दिनांक 02.08.2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री सतवीर कानि को मुझ पर शक हो जाने की वजह से रिश्वत राशि नहीं ली गई थी। वह मुझसे "तेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है" कह कर गया था। उसी रात श्री सतवीर कानि व सी0आई0 साहब पुलिस जाब्ते को लेकर मेरे घर का पता पूछकर रात 02 बजे के करीब मेरे घर आये तथा डाट-डपट की तथा शिकायत के सम्बन्ध में पूरी पूछताछ की थी। जिस पर मुझे उनको बताना पड़ा कि मेने मेरे मामले में सतवीर कानि की रिश्वत सम्बन्धित शिकायत एसीबी में की थी व ट्रेप आयोजन सम्बन्धी बात तथा सत्यापन कर्ता कानि श्री देवदान सिंह एसीबी वाले का मोबाईल नम्बर भी उन लोगों ने मेरे मोबाईल से चेक कर लिया था तथा अब आरोपीगण द्वारा मुझसे रिश्वत राशि लेने की कोई संम्भावना नहीं है अतः मेरे द्वारा पूर्व में दिये गये 50 हजार रूपये लौटाने का श्रम करें। इस पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो सरकारी गवाहान श्री राधेश्याम सालोदिया वरिष्ट सहायक व श्री ईश्वर राठौर कनिष्ठ सहायक जिला परिषद झालावाड़ को कार्यालय में तलब कर परिवादी श्री मुकेश से मिलवाकर उसके द्वारा कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र पढ़वाकर परिवादी श्री मुकेश द्वारा पूर्व में पेश रिश्वत राशि 50 हजार रूपये मालखाने से निकलवाकर फिनोफ्थलीन पावडर झाड़कर परिवादी को लौटाये गये। दिनांक 02.08.2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार आरोपी श्री सतवीर कानि को परिवादी श्री मुकेश पर शंका होने के कारण 50 हजार रूपये रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई तथा उसके द्वारा परिवादी से पूरे एक लाख रूपये देने की कहा गया। जबकि वह पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 30 हजार रूपये प्राप्त कर चुका था जिसकी पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.07.2025 व रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता दिनांक 02.08.2025 से होती है। आरोपी श्री सतवीर कानि द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि लेने की पूरी जानकारी श्री नन्दकिशोर पु0नि0 पुलिस थाना मनोहरथाना को थी। क्योंकि जब सतवीर कानि के कहे अनुसार परिवादी सी0आई0 श्री नन्दकिशोर वर्मा से पुलिस थाना मनोहरथाना में उनके कक्ष में जाकर मिला तो उन्होंने परिवादी श्री मुकेश से कहा कि तेरा सभी काम कर देंगे तू सतवीर को 80 हजार रूपये और दे देना, आगे तेरे कोई परेशानी नहीं आने देंगे तथा बाहर ही सतवीर कानि मिल गया उसने परिवादी से कहा कि अब तू 80 हजार रूपये तो एसएचओ साहब श्री नन्दकिशोर जी के और 20 हजार रूपये मेरे लिये अलग से कुल एक लाख रूपये की व्यवस्था करके लाने के लिये कहा गया। जिसके बारे में परिवादी श्री मुकेश द्वारा दिनांक 01.08.2025 को काल कर कार्यालय में अवगत् करवाया गया था। परन्तु किसी प्रकार आरोपीगण श्री नन्दकिशोर वर्मा पुलिस निरीक्षक व श्री सतवीर कानि पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ को परिवादी श्री मुकेश पर शंका हो जाने के कारण दिनांक 03.08.2025 को रात रात्रि के लगभग दो बजे करीब श्री सतवीर कानि व सी0आई0 साहब पुलिस जाब्ते को लेकर परिवादी के घर का पता पूछकर उसके घर गये तथा डाट-डपट की तथा शिकायत के सम्बन्ध में पूरी पूछताछ की गयी। आरोपीगण को परिवादी श्री मुकेश पर किसी प्रकार शक हो जाने के कारण परिवादी से पूर्व में प्राप्त 30,000/-रूपये के पश्चात बाकी की रिश्वत राशि 1,00,000/-रूपये प्राप्त नहीं की गई। अतः आरोपीगण श्री सतवीर कानिस्टेबल व श्री नन्दकिशोर वर्मा पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में अपराध घटित होना पाया जाने पर अपराध पंजीबद्ध करने की अनुशंषा कर रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय पत्रांक 718 दिनांक 18.08.2025 द्वारा श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा रेंज कोटा के मार्फत ब्यूरो मुख्यालय प्रकरण दर्ज करने हेतु भिजवायी गयी थी, जिस पर ब्यूरो मुख्यालय के आदेश क्रमांक 12716-17 दिनांक 24.09.2025 द्वारा परीक्षणोपरान्त आरोपी श्री सतवीर कानि. पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़़ के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अपराध पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। अतः आरोपी श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री सोहन लाल निवासी गांव नेवाड़ी, पोस्ट नेवाड़ा, तहसील भुसावर जिला भरतपुर तत्कालीन कानि.नम्बर 538 पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ हाल पुलिस लाईन झालावाड के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना प्रमाणित पाया जाने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को सादर प्रेषित है। (साजिद खान) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री साजिद खान,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झालावाड़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री सोहन लाल निवासी गांव नेवाड़ी, पोस्ट नेवाड़ा, तहसील भुसावर जिला भरतपुर तत्कालीन कानि. नम्बर 538 पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ हाल पुलिस लाईन झालावाड के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 49 पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1469-72 दिनांक 03-10-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 3-पुलिस अधीक्षक, जिला झालावाड

4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[illegible]0/2025 [illegible]2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/07/1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)